मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 9-13/17/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26/10/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय :- दिनांक 01-01-2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/ दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

***

राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2016/ नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा शासकीय सेवकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01-01-2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01-01-2016 को अथवा पश्चात सेवा निवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/ परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए :-

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में [पूर्व में भुगतान राशि समायोजित करते हुए] किया जाए।

ख. मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/- (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोडकर) की जाती है। पेंशन/ परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान मे प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. दिनांक 01-01-2016 से 31-08-2017 तक की अवधि के लिये पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की बढी हुई राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा ।

Rule-180

4. पेंशन/परिवार पेंशन देय राशि की गणना में मंहगाई राहत की गणना निम्नानुसार होगी :-

दिनांक	मंहगाई राहत
01-01-2016 से	शून्य प्रतिशत
01-07-2016 से	2 प्रतिशत
01-01-2017 से	4 प्रतिशत

5. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुखवीर सिंह)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 9-13/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 26/10/2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये

18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
25. अध्यक्ष, म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग